रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 1980/ज्येष्ठ 10, 1902

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1980/JYAISTHA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1980

सा० का० नि० 582:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, रजिस्ट्रार का कार्यालय, अवरोधक व्यापारिक करार (अधिकारी और कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, रजिस्ट्रार का कार्यालय अवरोधक व्यापारिक करार (अधिकारी और कर्मचारिवृन्द) भर्ती संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये 5 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, रजिस्ट्रार का कार्यालय अवरोधक व्यापारिक करार (अधिकारी और कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1976 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"4क—चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व:

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होम गार्ड के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा:

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमादेष्टा, होमगार्ड, ऐसी अवधि को घटाकर दो वर्ष कर सकेगा।"

Attested

8	9	10	11	12
			ence prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation/contract shall, ordinarily, not exceeding 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Joint Secretary (Rehabilitation Reclamation Organisation —Chairman 2. Chief Mechanical Engineer (Rehabilitation Reclamation Organisation) —Member 3. Director or Deputy Secretary (Rehabilitation Reclamation Organisation) —Member Note : The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh memeeting of the Departmental Promotion Committee or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. 11(16)/77-Admn. III)]
S. L. MEDIRATTA, Joint Director

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मई, 1980

सा०का०नि० 605.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1980 है ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (LXXXVI) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अंतस्थापित किये जाएँगे अर्थात् :—

(LXXXVII) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 564 "सा०का०नि० तारीख 17 मई, 1980 में, जो 31 मई, 1980 को प्रवृत्त होंगी, विनिर्दिष्ट हीरा कटाई के उद्योग, अर्थात् हीरा कटाई में लगे हुए किसी उद्योग के संबंध में" ।

"(LXXXVIII) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 563 तारीख 17 मई, 1980 में, जो 31 मई, 1980 को प्रवृत्त होंगी, के अन्तर्गत आने वाली क्वार्टजाइट खानों के संबंध में ।"

"(LXXXIX) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 565 तारीख 17 मई 1980 में जो 31 मई, 1980 को प्रवृत्त होगी । विनिर्दिष्ट किया गया हो अन्तर्देशीय जल परिवहन स्थानों के संबंध में अर्थात् कोई ऐसा स्थापन, जो अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्रिया कलापों में लगा हो ।"

[सं० एस०-35016/4/79-पी०एण्ड०-2]
हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

Attested

21/11/12

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 24th May, 1980

G.S.R. 605.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 1980.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, after sub-clause (LXXXVI), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

"(LXXXVii) as respects the Diamond Cutting Industry, that is to say, any industry engaged in the cutting of Diamond, specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 564 dated the 17th May, 1980 come into force on the 31st May, 1980.

"(LXXXViii) as respects the quartzite mines covered by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 563 dated the 17th May, 1980, come into force on the 31st May, 1980."

"(LXXXIX) as respects the inland water transport establishments, that is to say, any establishment engaged in the activities of inland water transport specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 565 dated the 17th May, 1980 come into force on the 31st May, 1980".

[No. S-35016(4)/79-PF. II]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

Attested

21/11/12

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980